

न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) कक्ष सं०-04, बरेली।

मूलवाद संख्या- 499/2019

प्रमोद कुमार

बनाम

अजय जौहरी

दिनांक-12.12.2025

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी अनुपस्थित। बार बार पुकार पर भी वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हैं और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है। विगत तिथि पर वादी को अंतिम अवसर दिया जा चुका है। किन्तु आज भी वादी अनुपस्थित हैं, उनकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को अपना वाद चलाने में कोई रुचि नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद संख्या-499/2019, प्रमोद कुमार बनाम अजय जौहरी, अंतर्गत आदेश 9 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता में निरस्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार को प्रेषित हो।

अपर सिविल जज (सी०डि०),

कक्ष सं०-04, बरेली।